संख्या-36/2025/78 /41-1-2025 सी०एन०-1777655/2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 2025

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना" के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के ग्राम पंचायत कोचरी, विकास खण्ड रामपुर में प्राचीन शम्भुनाथ शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8367/मु०प०वि०स०यो०/62-जौनपुर/सीएन-94264/2023, दिनांक 06 जनवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से "मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के ग्राम पंचायत कोचरी, विकास खण्ड रामपुर में प्राचीन शम्भुनाथ शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-125/2024/22/41-1-2024-1777655/2024, दिनांक 12.02.2024 द्वारा "मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना" के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के ग्राम पंचायत कोचरी, विकास खण्ड रामपुर में प्राचीन शम्भुनाथ शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अप्रैजल समिति द्वारा आंकलित धनराशि रू0 221.20 लाख (जीसटी सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत डा० आर०के०पटेल, मा० विधायक, मडियाहूँ, जौनपुर) तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रायोजना सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-125/2024/22/41-1-2024-1777655/2024, दिनांक 12.02.2024 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अतः प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-125/2024/22/41-1-2024-1777655/2024, दिनांक 12.02.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को मयब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4- डा० आर०के० पटेल, मा० विधायक, मडियाहूँ, जौनपुर।
5- जिलाधिकारी, जौनपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०।
8- वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, तखनऊ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, (राज्य योजना) मुख्यालय, पर्यटन निदेशालयय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 6, 7, 8 एवं 10 की अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10- उपनिदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विन्ध्यांचल मण्डल, वाराणसी।
11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।